तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत कैम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 40/2014 उगमसिंह वगैरह बनामः भीका वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 व सपठित
आदेश–39,नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

———

दिनांक 16.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में गत् आदेश तालिका दिनांक 30.06.2014 के अनुसार सरहद मौजा पराखिया पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि के खाता सं.116 में दर्ज खसरा नं. 295, 296 कुल रकबा 1.41 हेक्टर, खाता सं. 117 में दर्ज खसरा नं. 203, 204 कुल रकबा 4.76 हेक्टर, खाता सं. 118 में दर्ज खसरा नं. 124 रकबा 0.88 हेक्टर एवं खाता सं. 119 में दर्ज खसरा नं. 181, 183, 184, 185 कुल रकबा 6.49 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के बारे में वाद–विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि उल्लेखित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 53/2014 के निस्तारण तक पुख्ता करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पराखिया पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि के खाता सं.116 में दर्ज खसरा नं. 295, 296 कुल रकबा 1.41 हेक्टर, खाता सं. 117 में दर्ज खसरा नं. 203, 204 कुल रकबा 4.76 हेक्टर, खाता सं. 118 में दर्ज खसरा नं. 124 रकबा 0.88 हेक्टर एवं खाता सं. 119 में दर्ज खसरा नं. 181, 183, 184, 185 कुल रकबा 6.49 हेक्टर से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 53/2014 के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 53/2014 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner